

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.17(10)नविवि / 11/2019

जयपुर, दिनांक: 11 MAY 2020

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अंतर्गत प्राधिकरण/न्यास द्वारा नीलामी से विक्रय किये जाने का प्रावधान है। समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.09.2019 द्वारा नियम 14 में संशोधन किये गये हैं।

कोविड-19 के मध्यनजर सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार नीलामी के प्रकरणों में निम्न प्रकार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे :-

1. नीलामी की दिनांक से 30 कार्य दिवस में डिमाण्ड नोट जारी किया जावे।
2. बिड स्वीकृत होने के पश्चात 35 प्रतिशत राशि 120 कार्य दिवस के स्थान पर 240 कार्य दिवस में जमा करवायी जावे।
3. शेष 50 प्रतिशत राशि 180 कार्य दिवस के स्थान पर 360 कार्य दिवस में जमा करवायी जावे।
4. जिन भूखण्डों की नीलामी होकर मांग पत्र जारी किया जा चुका है, उनमें 35 प्रतिशत व 50 प्रतिशत राशि जमा कराने की दिनांक 15.03.2020 के पश्चात की निर्धारित है, ऐसे प्रकरणों में राशि जमा कराने की दिनांक 30.06.2020 निर्धारित किये जाने की राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 के अंतर्गत छूट प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम